न्यायालय उप जिलाधिकारी, देवबन्द जनपद सहारनपुर।

वाद संख्या: T 201509 6004121 / 2014–2015 धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0अधि0

देवबन्द कॉलेज ऑफ हायर एजूकेशन देवबन्द द्वारा मुस्लिम एजूकेशन एण्ड सोशल वैल्फेयर एसोसिएशन रजि0 देवबन्द द्वारा प्रबन्धक डा0 कमरूज्जमा कुरैशी पुत्र जरीफ अहमद निवासी बडजियाउलहक नयाबांस देवबन्द जिला सहारनपुर।

बनाम सरकार।

भूमि स्थित ग्राम– देवबन्द बैरून हदूद परगना व तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर।

आदेश

देवबन्द कॉलेज ऑफ हायर एजूकेशन देवबन्द द्वारा मुस्लिम एजूकेशन एण्ड सोशल वैल्फेयर एसोसिएशन रजि0 देवबन्द द्वारा प्रबन्धक डा0 कमरूज्जमा कुरैशी पुत्र जरीफ अहमद निवासी बडजियाउलहक नयाबांस देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह चक संख्या 842अ के खसरा नम्बर 971/0–14–10, खसरा नम्बर 972/1 रकबा 0–0–10 व खसरा नम्बर 972/2 रकबा 2–15–12, खसरा नम्बर 974 रकबा 0–11–0 कुल चार किते कुल रकबा 4–1–12 लगान 42.85 पैसे व चक संख्या–2070ब रकबा 0–17–15 लगान 9.30 पैसे भूमि स्थित ग्राम देवबन्द बैरून हदूद परगना व तहसील देवबन्द का संक्रमणीय भूमिधर है। प्रश्नगत भूमि मे कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि को धारा 143 के अन्तर्गत लगान मुक्त कर अकृषिक घोषित किए जाने की याचना की गई है।

उक्त के संबंध मे तहसीलदार देवबन्द व चकबन्दी विभाग से जांच आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार देवबन्द व चकबन्दी विभाग द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 14.01.2015 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि प्रार्थी चक संख्या 842अ के खसरा नम्बर 971/0–14–10, खसरा नम्बर 972/1 रकबा 0–0–10 व खसरा नम्बर 972/2 रकबा 2–15–12, खसरा नम्बर 974 रकबा 0–11–0 कुल चार किते कुल रकबा 4–1–12 लगान 42.85 पैसे व चक संख्या–2070ब रकबा 0–17–15 लगान 9.30 पैसे भूमि स्थित ग्राम देवबन्द बैरून हदूद परगना व तहसील देवबन्द का संक्रमणीय भूमिधर है। प्रश्नगत भूमि में कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुट आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार देवबन्द द्वारा प्रश्नगत भूमि को लगान रूपये मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है। आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सहारनपुर से वाद संख्या–19/2014 आदेश दिनांक 13.06.2014 के द्वारा प्रार्थी ने धारा 5ग(1) जो.च.अ. के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त की गई है।

अतः तहसीलदार देवबन्द व चकबन्दी विभाग की आख्या दिनांक 14.01.2015 के आलोक में चक संख्या 842अ के खसरा नम्बर 971/0–14–10, खसरा नम्बर 972/1 रकबा 0–0–10 व खसरा नम्बर 972/2 रकबा 2–15–12, खसरा नम्बर 974 रकबा 0–11–0 कुल चार किते कुल रकबा 4–1–12 लगान 42.85 पैसे व चक संख्या–2070ब रकबा 0–17–15 लगान 9.30 पैसे भूमि स्थित ग्राम देवबन्द बैरून हदूद परगना व तहसील देवबन्द को उ0प्र0 ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। तदनुसार अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार देवबन्द, चकबन्दी अधिकारी देवबन्द व उप निबन्धक देवबन्द को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित होवे।

दिनांक: 19 जनवरी, 2015

(राजेश कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी,
देवबन्द।